



बजिली क्षेत्र की चुनौतियाँ

संदर्भ

बजिली क्षेत्र की अधिकांश समस्याएँ डसिकॉम (वतिरण कंपनियों) क्षेत्र के खराब नषिपादन से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में 'उदय' (उज्ज्वल डसिकॉम एश्योरेंस योजना) योजना को लॉन्च किया गया था जो कविचार की दृष्टि से एक अच्छी पहल थी। गुजरात जैसे राज्य में यह योजना अधिक सफल रही और इस योजना के कारण इस राज्य में बजिली क्षेत्र में काफी सकारात्मक परिवर्तन भी देखे गए। परणामस्वरूप 'उदय' देश के अन्य हिसिओं के लिये एक मॉडल योजना बन गई हालाँकि, इस योजना ने इन वतिरण कंपनियों को केवल अस्थायी राहत प्रदान की है तथा इस योजना से शेष राज्यों में उतने सकारात्मक परणाम प्राप्त नहीं हुए हैं जतिने उससे अपेक्षित थे। अब प्रश्न यह है कि उदय योजना क्या है और इससे जुड़ी ऐसी क्या वशिषताएँ हैं जिनका लाभ इसके अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया है?

उदय (UDAY) योजना क्या है?

- 05 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्ज्वल डसिकॉम एश्योरेंस योजना या 'उदय' (UDAY) को स्वीकृति प्रदान की गई।
- उदय को वदियुत वतिरण कंपनियों (डसिकॉम्स) की वतितीय तथा परचालन क्षमता में सुधार लाने के लिये शुरू किया गया था।
- इस योजना में ब्याजभार, वदियुत की लागत और कुल तकनीकी तथा वाणजियकि नुकसान (AT & C LOSS) की हानि को कम करने का प्रावधान है। इसके परणामस्वरूप डसिकॉम्स लगातार 24 घंटे पर्याप्त और वशिषनीय वदियुत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगी।
- इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान है।
- उदय योजना के तहत बजिली वतिरण कंपनियों को आगामी दो-तीन वर्षों में उबारने हेतु नमिनलखिति चार पहलें अपनाए जाने की बात शामिल है जो नमिन प्रकार से हैं –

- ◆ बजिली वतिरण कंपनियों की परचालन क्षमता में सुधार।
- ◆ बजिली की लागत में कमी।
- ◆ वतिरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी।
- ◆ राज्य वति आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से बजिली वतिरण कंपनियों पर वतितीय अनुशासन लागू करना।

मुख्य वशिषताएँ

- वतिरण कंपनियों का 75% ऋण राज्यों द्वारा दो वर्षों में अधगिरहीत किया जाएगा तथा यह अधगिरहण वर्ष 2015-16 में 50% और 2016-17 में 25% होगा।
- भारत सरकार द्वारा 2015-16 और 2016-17 वतितीय वर्ष में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे की गणना में उदय योजना के तहत राज्यों द्वारा अधगिरहीत ऋण शामिल नहीं किया जाएगा।
- वतिरण कंपनियों के जनि ऋणों का अधगिरहण राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा, उन्हें वतितीय संस्थान/बैंक द्वारा ऋण अथवा बॉन्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत अनविर्य स्मार्ट मीटरिंग तथा उनकी संचालनगत कुशलता, ट्रांसफार्मरों एवं मीटरों आदिका उन्नयन, कारगर एलईडी बल्ब, कृषि पंपों, पंखों एवं एयरकंडीशनरों आदि जैसे कफायती ऊर्जा से जुड़े कदमों से औसत AT & C नुकसान लगभग 22 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी तक कम किया जाएगा।
- 2018-19 तक औसत राजस्व प्राप्ति (ARR) और आपूर्ति की औसत लागत (ACS) के बीच के अंतर को समाप्त किया जाएगा।
- गौरतलब है कि उदय योजना सभी राज्यों के लिये वैकल्पिक है।

करयान्वयन से उत्पन्न चुनौतियाँ

- अधिकांश डसिकॉम AT & C घाटे में कमी, ACS-ARR अंतराल को समाप्त करने और इसी तरह के नियमों को पूरा करने में असफल रहे हैं। वडिबना यह है कि सभी उदय राज्यों में से 13 ने वास्तव में पछिले वर्ष की तुलना में उच्च AT & C घाटे की सूचना दी है।
- साथ ही बजिली की कीमत के निर्धारण की दुवधि के कारण डसिकॉम्स जतिना अधिक बजिली वतिरण उपलब्ध कराते हैं, उतना ही उनका घाटा बढ़ता जाता है। परणामस्वरूप, यह मांग की कमी बदले में बजिली डसिकॉम्स को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
- डसिकॉम्स की खराब वतितीय स्थिति का कारण बढ़ती बकाया राशि है जिसके कारण Gencos (एक वनियमति या गैर-वनियमति कंपनी जो पूरी तरह से

- बजिली उत्पादन में लगी हुई है) यानी एक कंपनी जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, को भुगतान करना पड़ता है।
- डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति के चलते बजिली खरीद समझौता (PPA) के रूप में बजिली की मांग भी प्रभावित होती है।
- Gencos को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक भी हैं जो कि इसके वित्त को हानि पहुँचाते हैं, लेकिन उपर्युक्त दोनों कारण प्रमुख रूप से अधिक योगदान देते हैं।
- अतः डिस्कॉम अपने करज को चुकाने में असमर्थ हैं और नकिट भविष्य में इनके ₹ 1.7 लाख करोड़ के घाटे का जल्द ही एनपीए बनने की संभावना है।
- इससे कोयले और बैंकगि उद्योग दोनों पर असर पड़ेगा। चूँकि Gencos को वितरण कंपनियों से अपनी बकाया राशि नहीं मलि रही है, इसलिये वे कोल इंडिया को नयिमति रूप से भुगतान करने में असमर्थ हैं इस तरह बकाया राशि ₹10,000 करोड़ से अधिक हो गई है।
- बैंकगि उद्योग, जो पहले से ही दबाव में है, गैर-नष्पादित Gencos के कारण संभावित एनपीए की अतिरिक्त समस्या को बढ़ाता है।
- इस प्रकार इस दुष्चक्र यानी वित्तीय घाटे की समस्या ने ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित किया है और यदि इन मुद्दों को शीघ्रता से हल नहीं किया गया तो गंभीर संकट हो सकता उत्पन्न हो सकता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

- अलग फीडर लाइनों, ऑडिटिंग, डिफॉल्टर्स और मूल्य निर्धारण के खिलाफ मज़बूत कार्रवाई करने की आवश्यकता है लेकिन इसके लिये समय और परयास दोनों की आवश्यकता होगी।
- अन्य राज्यों के अधिकारियों को गुजरात में इस योजना की सफलता से सीख लेनी होगी कि कैसे अपनी योजना को सफल बनाएँ।
- इसके अतिरिक्त इन योजनाओं की दलिली में ही क्रियान्वयन और नगिरानी नहीं की जानी चाहिये यानी महत्त्वपूर्ण योजनाओं के लिये ज़मीनी स्तर पर सभी राज्यों की हस्सिदारी प्राप्त करने के लिये गहन चर्चाएँ की जानी चाहिये क्योंकि यह किसी भी योजना की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- कोयला उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाया जाना चाहिये, ऐसा पहले भी किया गया है और पुनः ऐसा किया जा सकता है। इसके लिये कोयला परियोजना नगिरानी समूह को शीघ्रता से मंजूरी देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राज्यों के साथ सहयोग भी बढ़ाना होगा क्योंकि यही वह जगह है जहाँ कार्रवाई करना आवश्यक है।
- साथ ही प्रत्येक तनावग्रस्त परियोजना की जाँच करने और पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिये एक उच्च स्तरीय अधिकारि समितिकी स्थापना की जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि इस समिति को विवादों को सुलझाने के लिये आवश्यक अधिकार भी दिये जाने चाहिये।
- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केवल वित्तीय पुनर्गठन ही उपर्युक्त समस्याओं का हल नहीं हो सकता है बल्कि इसके लिये एक व्यापक पैकेज का होना भी ज़रूरी है।
- इससे परियोजनाओं हेतु आवश्यक स्वामित्व/प्रबंधन और/ धन की पर्याप्त स्वीकृति में भी परिवर्तन हो सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रशंसनीय कार्य है और इसकी एक लागत भी तय की जानी चाहिये न कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को सब्सिडी देने के लिये Gencos पर कोई दबाव नहीं देना चाहिये।
- देश के विकास की आधारशिला इसका ऊर्जा क्षेत्र है, अतः देश के शक्तिहीन होने से पहले ही बजिली क्षेत्र पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है।

स्रोत : बज़िनेस लाइन (द हिंदी)